## Jammu and Kashmir Pollution Control Committee

chairman87jkspcb@gmail.com membersecretaryjkspcb@gmail.com

0191 - 2472881, 2476925





Parivesh Bhavan, Forest Complex, Transport Nagar, Jammu, 180 006

Silk Factory Road Rajbagh, Srinagar, 190 008

Subject:- General Siting Criteria for industries being established in private lands after Change of Land Use (CLU) from the Competent Authority.

#### **CIRCULAR**

A significant number of industrial units are being established in private areas after Change of Land Use (CLU) is granted by the Competent Authority. Divisional Officers of PCC, Jammu / Kashmir are also member of the District Level Committee on Change of Land Use (CLU). In some cases, the residents of adjoining areas have objected to establishment of new industrial unit(s) on account of environmental concerns. Such a situation places the industrialist as well as local inhabitants at disadvantage. In order to avoid such situation, the Divisional Officers are advised to adopt the following general guidelines while submitting their opinion / remarks in CLU meeting / cases for which sector specific criteria have not been prescribed:

a. Minimum distance from the nearest boundary of surface water body (flood plain/HFL/Red line) as per the revenue sketch.

Red Category Industries	With effluent generation	Beyond 500 meters
	Without effluent generation	Beyond 300 meters
Orange Category Industries	With effluent generation	Beyond 75 meters
	Without effluent generation	Beyond 30 meters
Green Category Industries		Beyond 30 meters

b. Minimum distance from the Settlement, Educational Institute, Health Care Establishments, Archaeological Monuments, Heritage site, National Park/ Reserve Forest/ Ecosenstive Zone, interstate boundary shall be maintained:

Red Category Industries	Beyond 500 meters
Orange Category Industries	Beyond 250 meters

26/201

Green Category Industries (With Noise and Vibration Generating Machines)		Beyond 100 meters	
Rest of Green and White cas	es	Beyond 30 meters	

#### Note:-

- Settlement means 20 or more residential houses within the prescribed minimum distance.
- Educational Institutions means Government Primary School or above or Government recognized Private School, College, University etc.
- iii. Health Care Establishments means Primary health centre or above of Health and Medical Education Department or recognized private HCE with minimum 10 beds.

'Issued with the approval of the Competent Authority.'

No:- JKPCC/ PS/ms/24/3701-3728

Dt:- 0 5.09.2024

Ghansham Singh) JKAS

Member Secretary 5.9.24

5/9/24

Copy for information and necessary action to the :\_

- 1. Director, Industries & Commerce, Jammu / Kashmir, J&K Government.
- 2. Regional Director, PCC, Jammu / Kashmir.
- 3. Environmental Engineer, J&K PCC, Jammu.
- 4. Scientist B ( Dr. Sabina Sultan) / Asstt. Environmental Engineer ( AS), J&K PCC, Jammu / Srinagar.
- 5. All Divisional Officer, J&K PCC, Jammu / Kashmir.
- 6. PA to Chairman for information of the Chairman.

# जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण

chairman87jkspcb@gmail.com membersecretaryjkspcb@gmail.com





परिवेश भवन, फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू, 180 006

सिल्क फैक्टी रोड राजबाग, श्रीनगर, 190 008

0191 - 2472881, 2476925

#### सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग (सीएलयू) में परिवर्तन के बाद निजी भूमि में विषय :-स्थापित किए जा रहे उद्योगों के लिए सामान्य स्थल निर्धारण मानदंड।

### परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रदान किए जाने के बाद निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। पीसीसी, जम्मू/कश्मीर के संभागीय अधिकारी भी भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) पर जिला स्तरीय समिति के सदस्य हैं। कुछ मामलों में, निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर आपत्ति की है। ऐसी स्थिति उद्योगपति के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी नुकसान में डालती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, मंडल अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे सीएलयू की बैठकों/मामलों में अपनी राय/टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश अपनाएं, जिनके लिए क्षेत्र विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं:

a. राजस्व स्केच के अनुसार सतही जल निकाय की निकटतम सीमा (बाढ़ मैदान/एचएफएल/रेड लाइन) से न्यूनतम दूरी।

लाल श्रेणी उद्योगों	बहिःस्राव उत्पादन के साथ	500 मीटर से अधिक
	बहिःस्राव उत्पादन के बिना	300 मीटर से अधिक
ऑरेंज श्रेणी के उद्योग	बहिःस्राव उत्पादन के साथ	75 मीटर से अधिक
	बहिःस्राव उत्पादन के बिना	30 मीटर से अधिक
ग्रीन श्रेणी के उद्योग		30 मीटर से अधिक

b. बस्ती, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों, पुरातात्विक स्मारकों, विरासत स्थल, राष्ट्रीय उद्यान / रिजर्व वन / इकोसेंस्टिव जोन, अंतरराज्यीय सीमा से न्यूनतम दूरी बनाए रखी जाएगी:

लाल श्रेणी के उद्योग	500 मीटर से अधिक
ऑरेंज श्रेणी के उद्योग	250 मीटर से आगे
ग्रीन श्रेणी के उद्योग (शोर और कंपन पैदा करने वाली मशीनों के साथ)	100 मीटर से अधिक
बाकी ग्रीन एंड व्हाइट मामले	30 मीटर से अधिक

#### नोट:-

- 1. सेटलमेंट का मतलब है निर्धारित न्यूनतम दूरी के भीतर 20 या अधिक आवासीय घर।
- 2. शैक्षिक संस्थानों का अर्थ है सरकारी प्राथमिक विद्यालय या उससे ऊपर या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि।
- स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों का अर्थ है प्राथिमक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के ऊपर या न्यूनतम 10 बेड के साथ मान्यता प्राप्त निजी एचसीई।

## 'सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया।

नहीं :- जेकेपीसीसी/पीएस/एमएस/24/3701-3728 दिनांक:- 05 .09.2024

घनशाम सिंह) जेकेएस 10.9.24 सदस्य सचिव

जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए कॉपी करें :\_

- 1. निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, जम्मू/कश्मीर, जम्मू-कश्मीर सरकार।
- 2. क्षेत्रीय निदेशक, पीसीसी, जम्मू/कश्मीर।
- 3. पर्यावरण अभियंता, जम्मू एंड कश्मीर पीसीसी, जम्मू।
- 4. वैज्ञानिक बी (डॉ. सबीना सुल्तान) / पर्यावरण अभियंता (एएस), जम्मू और कश्मीर पीसीसी, जम्मू /
- 5. सभी संभागीय अधिकारी, जम्मू-कश्मीर पीसीसी, जम्मू/कश्मीर।
- 6. अध्यक्ष की जानकारी के लिए अध्यक्ष को पीए.